ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर का मंजूरी प्रस्ताव जल्द

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले को लागू करने के लिए संसद के मानसून सत्र में जीएसटी अधिनियम में स्पष्टीकरण संशोधन प्रस्ताव लाएगी।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त 2023 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि कानून का मसौदा तैयार किया जाए और इसे संसद में पेश कर मानसून सत्र में पारित कराया जाए। मल्होत्रा ने कहा कि कार्यान्वयन तभी प्रभावी होगा, जब राज्य विधानमंडल भी राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन को पारित कर देंगे।

खेल की प्रकृति तय : राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह एक स्पष्टीकरण संशोधन है। हमारा मानना है कि ऑनलाइन गेम चाहे कौशल का खेल हो या किस्मत का खेल, नतीजा दांव पर निर्भर करता है। परिषद ने केवल इस दृष्टिकोण की पुष्टि की है कि इन खेलों के लिए पूर्ण भुगतान मूल्य या जो राशि ऑनलाइन गेमिंग मंच पर दी जाती है, उस पर 28 प्रतिशत कर लगेगा।

सालाना 20 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलेगा

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि जीएसटी परिषद के ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने के फैसले से सरकारी खजाने को सालाना अनुमानत: 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। राजस्व सचिव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग फिलहाल 2-3 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहा है, जो खानपान की वस्तुओं पर लगने वाले पांच प्रतिशत जीएसटी से भी कम है, जिसका उपभोग आम आदमी करता है। बीते वित्त वर्ष में सरकार को इस तरह के कारोबार पर कर से सिर्फ 1,700 करोड़ का जीएसटी मिला। यदि पूर्ण मूल्य पर कर लगाया जाता, तो यह कर वसूली करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये बैठती।